



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

website: -www.bubhopal.ac.in

Email:- buaff2023@gmail.com

क्रमांक: 2009/अकादमी/संबद्धता/2024

भोपाल दिनांक: 30-09-2024

To,
PRINCIPAL,
JAWAHAR LAL NEHRU COLLEGE,
C-56, CIVIL LINES, SHYAMALA HILLS AND 973, 1 MUGALIYA
HAAT, PARWALIA SADAK, BHOPAL (M.P.).
(PRIVATE)

College Code-042
Affiliation Renewal
(2024-25)

विषय:- सत्र 2024-25 हेतु स्थाई /अस्थायी सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 19-06-2024 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 19-06-2024 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2024-25 हेतु स्थाई/अस्थायी संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	COURSE STATUS
01	BA III	FOUNDATION COURSE, ECONOMICS, ENGLISH, HINDI, SANSKRIT, HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY, URDU	PERMANENT
02	BLIB INFORMATION SCIENCE	ALL COMPULSORY PAPERS,	PERMANENT
03	MLIB INFORMATION SCIENCE	ALL COMPULSORY PAPERS,	PERMANENT
04	BA III	MANAGEMENT	PERMANENT
05	PGDCA	ALL COMPULSORY PAPERS,	PERMANENT
06	B.COM III	ALL COMPULSORY PAPERS, COMPUTER APPLICATION,	PERMANENT
07	BSC III	FOUNDATION COURSE, AQUACULTURE, BIOTECHNOLOGY, BOTANY, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, ELECTRONICS, ENVIRONMENT SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, ZOOLOGY	PERMANENT
08	BCA III	ALL COMPULSORY PAPERS,	PERMANENT
09	BBA III	ALL COMPULSORY PAPERS,	PERMANENT
10	MCOM F	ALL COMPULSORY PAPERS,	PERMANENT
11	PG DIPLOMA	YOGIC SCIENCE	PERMANENT
12	MSC F	BIOTECHNOLOGY, BOTANY, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, ZOOLOGY	PERMANENT
13	MA F	ECONOMICS, ENGLISH, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY, URDU	PERMANENT

शर्त:-

- (1) प्रदत्त अस्थायी संबद्धता / निरन्तरता करने हेतु आगामी सत्र 2025-26 के लिए विश्वविद्यालय में निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) बिना संबद्धता/निरन्तरता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- (3) विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 में दर्शित प्रावधानों का पालन करना महाविद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक होगा। किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर यह संबद्धता/निरन्तरता स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
- (4) अशासकीय महाविद्यालयों को आगामी संबद्धता हेतु आवेदन के साथ रु. 100-00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिसमें आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग / राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद / ए.आई.सी.टी.ई. / अन्य पाठ्यक्रम हेतु नियामक संस्थाओं (नियमानुसार जो लागू हो) की मान्यता, विश्वविद्यालय से जारी विगत वर्षों के संबद्धता/निरन्तरता पत्र, महाविद्यालय की संचालन समिति के पंजीयन दस्तावेज, पार्ट-ए में दर्शित दस्तावेज,



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

website: -www.bubhopal.ac.in

Email:- buaff2023@gmail.com

जिसमें समिति द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री, नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय का नक्शा, खसरा नम्बर, महाविद्यालय का निर्माणाधीन एरिया, विल्डिंग पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, खेल मैदान की जानकारी, खेल मैदान की महाविद्यालय से दूरी एवं उसका सत्यापन, महाविद्यालय में उपलब्ध क्लासरूम की संख्या, उसमें कितने छात्रों को अध्ययन कराया जाता है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपलब्ध फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर पुस्तकों की संख्या, महाविद्यालय का फोटोग्राफ जियोटैगिंग सहित, क्लासरूम, प्रयोगशाला पुस्तकालय का फोटोग्राफ, यदि महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन हुआ है संबंधी जानकारी, महाविद्यालय की समिति का पुर्नगठन, शासी निकाय के कार्यवृत्त संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (5) शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (कालेज कोड) 28 के तहत छात्र अनुपात अनुसार पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वॉइनिंग रिपोर्ट मय शिक्षकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, पेन नम्बर, शिक्षकों के बैंक खातों की जानकारी विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। महाविद्यालय को स्वीकृत सीट संख्या महाविद्यालय में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं सूची तथा रिक्त सीटों की संख्या की जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) महाविद्यालय में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी मय बायोडाटा के महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- (7) महाविद्यालय की बेलेन्सशीट, आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (8) शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (9) संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (10) उक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (11) शासकीय महाविद्यालय के लिए :- जनभागीदारी समिति के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.कं. 2010/अकादमी/संबद्धता/2024

प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक: 30-09-2024

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
3. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली।
4. प्रभारी, वि.वि. आई.टी /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
6. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)